**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर**

**एकल पीठ : माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव न्यायाधीश**

**दाण्डिक अपील संख्या 271/1998**

**अपीलार्थी** : हीरा देवी चंद्रा

**विरूद्ध**

**प्रत्यर्थी** : मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

**दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता**

---

उपस्थितः- श्री एच. एस. अहलुवालिया, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

सुश्री सुनीता जैन, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**मौखिक आदेश**
**(30 जुलाई 2012 को पारित)**

श्रवण किया गया |

2. यह अपील दिनांक 19/01/98 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से उद्भूत हुई है, जो विशेष न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 09/94 में पारित किया गया था। उक्त निर्णय के द्वारा एवं जिसके अंतर्गत, मृत अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया तथा छह माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया एवं 500/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना न देने की दशा में तीन माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा 500/- रुपये

के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

3. अपील की लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी लखनलाल का निधन हो गया तथा उसके विधिक प्रतिनिधि को अपील का अभियोजन करने की अनुमति प्रदान की गई।

4. अभियोजन का मामला यह है कि शिकायतकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैजैपुर में स्वास्थ्य सहायक के रूप में पदस्थ एवं कार्यरत था, जहाँ मृत अपीलार्थी लेखापाल के पद पर पदस्थ था। दिनांक 17/05/91 को शिकायतकर्ता को वेतनवृद्धि (इन्क्रीमेंट) देय थी, किन्तु मृत अपीलार्थी द्वारा उक्त वेतनवृद्धि से संबंधित प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही थी। इस कारण शिकायतकर्ता ने खंड चिकित्सा अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने मृत अपीलार्थी के पास प्रेषित कर दिया। सितम्बर 1991 में शिकायतकर्ता को बताया गया कि वेतनवृद्धि की प्रविष्टि कर दी गई है तथा तीन माह के बकाया के रूप में 150/- रुपये की वेतनवृद्धि जारी किए जाने के संबंध में दिनांक 04/10/91 को मृत अपीलार्थी द्वारा 50/- रुपये की मांग की गई। उक्त मांग किए जाने पर शिकायतकर्ता ने विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त के कार्यालय में एक शिकायत (प्रदर्श पी/2) प्रस्तुत की। शिकायत प्राप्त होने के बाद स्वतंत्र पंच साक्षियों को बुलाया गया, शिकायत का सत्यापन एवं पृष्ठांकन किया गया तथा उसका समर्थन किया गया। तत्पश्चात पंच साक्षियों की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉल्फ्थेलिन के मिश्रण का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद 50/- रुपये के नोट पर फिनॉल्फ्थेलिन पाउडर लगाया गया। समस्त कार्यवाही पूर्व-ट्रैप पंचनामा (अनुलग्नक पी/3) में दर्ज की गई। उक्त मुद्रा नोट निर्देशों सहित शिकायतकर्ता की जेब में रखा गया तथा उसी दिन अर्थात 09/10/91 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैजैपुर में ट्रैप की कार्यवाही की गई, जहाँ शिकायतकर्ता ने 50/- रुपये का नोट मृत अपीलार्थी को दिया, जिसे उसने स्वीकार कर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लिया। ट्रैप दल के सदस्य मौके पर पहुँचे और 50/- रुपये उसकी अभिरक्षा से बरामद किए गए। मृत अपीलार्थी के हाथ धुलवाए गए तथा ट्रैप दल के सदस्यों के भी हाथ धुलवाए गए और हाथ के धोवन को पृथक रूप से सीलबंद किया गया। ट्रैप पंचनामा प्रदर्श पी/9 के रूप में तैयार किया गया। प्राथमिकी (प्रदर्श पी/15) दर्ज की गई तथा अपराध क्रमांक 120/91 पंजीबद्ध किया गया। जप्त किया गया मुद्रा नोट तथा बोतलों में सीलबंद हाथ का धोवन (हैंड वॉश) को आवरण पत्र (प्रदर्श पी/16) के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जिस पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी/17) प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट में मृत अपीलार्थी के हाथ के धोवन में फिनॉल्फ्थेलिन के अंश पाए जाने की पुष्टि की गई। अभियोजन की स्वीकृति दिनांक 24/01/94 के आदेश (प्रदर्श पी/11) द्वारा प्राप्त की गई। अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोग पत्र में निहित सामग्री के आधार पर माननीय विचारण न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित अपराधों के संबंध में आरोप विरचित किए। मृत अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण संचालित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपने प्रकरण को सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने भारतराम साहू (अ.सा. 1), रामसेवक (अ.सा. 2), अमृतराव शिंदे (अ.सा. 3), आर.सी. श्रीवास्तव (अ.सा. 4), डी.डी. कुशवाहा (अ.सा. 5), बी.एल. त्रिपाठी (अ.सा. 6), डी.आर. यादव (अ.सा. 7), एस.के. वर्मा (अ.सा. 8), प्रेमचंद (अ.सा. 9), सुभाष कुमार चिपड़े (अ.सा. 10) तथा हेमंत खरे (अ.सा. 11) का परीक्षण कराया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोगात्मक साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के संबंध में मृत अपीलार्थी का कथन दर्ज किया गया। मृत अपीलार्थी ने अपने बचाव में तीन साक्षियों — शत्रुघन (ब.सा. 1), फिरकू राम (ब.सा. 2) तथा श्रीप्रसाद (ब.सा. 3) — का परीक्षण कराया। आक्षेपित आदेश द्वारा माननीय विचारण न्यायालय ने मृत अपीलार्थी को दोषी ठहराया एवं उपर्युक्त वर्णित अनुसार उसे दंडित किया, जिसके विरुद्ध यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

6. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती देते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृत अपीलार्थी की दोषसिद्धि अवैध एवं स्थिर रखे जाने योग्य नही है, क्योंकि कथित मांग को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं किया गया है। उनके निवेदनानुसार मांग की कहानी को स्थापित करने हेतु कोई संपोषक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शिकायत में जो कथन किया गया है, वह शिकायतकर्ता (रामसेवक अ.सा. 2) के न्यायालयीन साक्ष्य से विरोधाभासी है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मांग की कहानी शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषवश झूठे फँसाने से प्रेरित है, क्योंकि मृत अपीलार्थी अन्य कर्मचारियों की ओर से शिकायतकर्ता के कार्य में हस्तक्षेप करता था, जिससे शिकायतकर्ता उससे रुष्ट था। यह भी निवेदन किया गया कि स्वयं शिकायतकर्ता के विरुद्ध झूठे टी.ए. बिल प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यवाही की गई थी और उस प्रकरण में मृत अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया था। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने मृत अपीलार्थी से 50/- रुपये का ऋण लिया था और जो राशि प्राप्त करने का आरोप है, वह यदि मान भी लिया जाए, तो वह अवैध परितोषण के रूप में नहीं, बल्कि ऋण की वापसी के रूप में थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल शिकायतकर्ता के एकमात्र कथन पर भरोसा करते हुए मृत अपीलार्थी को दोषी ठहराकर अवैधता कारित किया है, जबकि शिकायतकर्ता की स्थिति किसी सहयोगी से बेहतर नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) ए.आइ.आर. 1979 एस. सी. 1408** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है। आगे यह भी कहा गया कि कथित स्वीकृति के समय किसी अन्य व्यक्ति ने घटना को नहीं देखा। यहाँ तक कि ट्रैप दल के साथ गए अभियोजन साक्षियों ने भी यह नहीं कहा कि उन्होंने कथित मांग अथवा स्वीकार करने की घटना को प्रत्यक्ष देखा। उन्होंने मृत अपीलार्थी को वेतनवृद्धि जारी करने के बदले अवैध परितोषण के रूप में राशि स्वीकार करते हुए नहीं देखा। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता कि मृत अपीलार्थी के हाथ के धोवन वाली बोतल पर कोई पहचान चिन्ह लगाया गया था। अतः मृत अपीलार्थी के विरुद्ध संपूर्ण ट्रैप कार्यवाही अत्यंत संदिग्ध है। जब मृत अपीलार्थी का बचाव विश्वसनीय एवं युक्तिसंगत है, तब उसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्न निर्णयों पर भरोसा किया – **अहेर रजा खिमा बनाम स्टेट ऑफ़ सौराष्ट्र एआइआर 1956 एस. सी. 217, सोम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब ए आई आर 1992 एस.**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**सी. 665, द्वारिकाप्रसाद रामनाथ गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ़ मध्यप्रदेश 1987 एमपीएलजे 527, टी सुब्रमण्यम बनाम स्टेट ऑफ़ तमिलनाडु 2006 (1) क्राइम्स 75 तथा पंजाबराव बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र ए आई आर 2002 एस. सी. 486**

7. दूसरी ओर, राज्य पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने न केवल मांग को सिद्ध किया है, बल्कि मृत अपीलार्थी से रिश्वत की राशि की स्वीकृति एवं बरामदगी को भी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि जब संपोषक साक्ष्य से यह स्थापित हो गया है कि रिश्वत की राशि मृत अपीलार्थी से बरामद की गई तब यह अपीलार्थी का दायित्व था कि वह उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, किन्तु अपीलार्थी कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य में कोई विरोधाभाष नही ह और मांग दो स्वतंत्र पंच गवाहों – आर.सी. श्रीवास्तव (अ.सा.4) तथा डी.डी. कुशवाहा (अ.सा.5) द्वारा पुष्टि की गई है जो स्वीकृति (राशि ग्रहण) के साक्ष्य के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा कोई युक्तिसंगत और संभावित बचाव प्रस्तुत न कर पाने से समर्थित है, दोषसिद्धि किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं बनता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. जहाँ तक मांग का प्रश्न है, लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/2) में शिकायतकर्ता रामसेवक (अ.सा.2) ने उल्लेख किया है कि मृत अपीलार्थी ने 50/- रु. की मांग की थी और कहा था कि जब तक यह राशि नहीं दी जाएगी, वह भुगतान जारी नहीं करेगा। रामसेवक (अ.सा.2) ने अपने साक्ष्य के कण्डिका-1 में कहा है कि मृत अपीलार्थी ने बकाया वेतन वृद्धि की राशि जारी करने के लिए रु. 50/- की मांग की थी जिस शिकायत के आधार पर उसने लोकायुक्त बिलासपुर के विशेष पुलिस स्थापना कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज कराई। डीएसपी श्री एस.के. वर्मा तथा आर.सी. श्रीवास्तव (अ.सा.-4) ने अपने बयान में कहा है कि जब वह कार्यालय में

बुलाया गया तो शिकायत उसे दिखाई गई और उसने उसे पढ़ा | शिकायतकर्ता से उसका सत्यापन किया तथा उस पर पृष्ठांकन भी किया। डी.डी. कुशवाहा (अ.सा.-5), जो एक अन्य स्वतंत्र पंच गवाह हैं, उन्होंने भी कहा कि जब उन्हें कार्यालय में बुलाया गया तो शिकायत उन्हें दिखाई गई, जिसे उन्होंने पढ़ा। शिकायतकर्ता उपस्थित था जिससे इसका सत्यापन किया गया और उसने कहा कि 50/- रु. की रिश्वत की मांग उससे की गई थी।

9. जहाँ तक बरामदगी का संबंध है, पूर्व-ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी/3) जिसे रामसेवक (अ.सा. 2) द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि 50/- रु. का मुद्रा नोट फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर से अभिलेपित किया गया था तथा उसे मृत अपीलार्थी की जेब में रखा गया था। उक्त नोट का क्रमांक भी पूर्व-ट्रैप पंचनामा में साक्षियों की उपस्थिति में अंकित किया गया था। आर.सी. श्रीवास्तव (अ.सा. 4) एवं डी.डी. कुशवाहा (अ.सा. 5) दोनों ने पूर्व-ट्रैप पंचनामा की उक्त विषयवस्तु का समर्थन किया है, विशेषतः फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर से अभिलेपन तथा मुद्रा नोट को मृत अपीलार्थी की जेब में रखे जाने संबंधी तथ्य का। अपीलार्थी ने बरामदगी के तथ्य का गंभीरतापूर्वक खण्डन नही किया है, अपितु यह बचाव लिया है कि उक्त राशि ऋण की अदायगी के रूप में ली गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि अपीलार्थी द्वारा एक युक्तिसंगत स्पष्टीकरण एवं विश्वसनीय बचाव प्रस्तुत की गई है कि रु. 50/- की वह राशि जो मृत अपीलार्थी से बरामद की गई, अवैध परितोषण के रूप में स्वीकृत नहीं की गई थी, बल्कि 50/- रु. के ऋण की वापसी के रूप में ली गई थी। उनके अनुसार मृत अपीलार्थी का यह बचाव रहा है कि उसने शिकायतकर्ता को उसके बालक के उपचार हेतु रु. 50/- का ऋण प्रदान किया था जिसका समर्थन बचाव साक्षी फिरकू राम (ब.सा. 2) के साक्ष्य से होता है। उक्त साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 08/10/91 को मृत अपीलार्थी ने अपने बालक

के उपचार हेतु औषधि क्रय करने के लिए 50/- रु. की राशि प्रदान की थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त बचाव साक्षी का कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रश्नगत 50/- रु. की राशि मृत अपीलार्थी द्वारा ऋण की वापसी स्वरूप प्राप्त की गई थी, न कि अवैध परितोषण के रूप में। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अन्य दो बचाव साक्षी - शत्रुघ्न (ब.सा. 1) तथा श्रीप्रसाद (ब.सा. 3) ने भी पूर्व रंजिश तथा झूठे फँसाए जाने की संभावना के संबंध में तथा शिकायतकर्ता द्वारा मृत अपीलार्थी को पूर्व में दिए गए 50/- रु. के ऋण की अदायगी के संबंध में भी कथन किया है। अतः मृत अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अभियुक्त पर प्रमाण का भार अभियोजन की अपेक्षा उतना कठोर नहीं होता तथा एक बार यदि विश्वसनीय बचाव प्रस्तुत कर दी जाती है, तो मृत अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का अधिकारी हो जाता है। उसे अपने बचाव को अभियोजन की भाँति संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, जैसा कि अभियोजन के प्रमाण-भार के मामले में अपेक्षित होता है। शिकायतकर्ता रामसेवक(अ.सा.2) ने अपने साक्ष्य की कण्डिका-7 तथा जिरह में कहा है कि फिरकूराम (ब.सा.2) जो कि चपरासी है, उसके साथ बस में यात्रा कर रहा था। उसे यह सुझाव दिया गया कि उसने रु. 100/- की मांग की थी, जो उसे अदा की गई थी। उसे यह भी सुझाव दिया गया कि ट्रैप के समय शिकायतकर्ता ने अपने द्वारा लिए गए ऋण की आंशिक अदायगी स्वरूप रु. 50/- की राशि प्रदान की थी। बचाव साक्षी फिरकू राम (ब.सा. 2) ने कहा है कि दिनांक 08/10/91 को जब वह बस में यात्रा कर रहा था, उस समय मृत अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता भी उसी बस में थे तथा शिकायतकर्ता ने धनराशि की मांग की जिस पर मृत अपीलार्थी ने उसे रु. 50/- अदा किए। उसकी जिरह के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं किया जा सका जिससे यह स्थापित हो सके कि वह मृत अपीलार्थी को बचाने हेतु मिथ्या कथन कर रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य बचाव साक्षी श्रीप्रसाद (ब.सा. 3) ने भी कथन किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है कि जब वह मृत अपीलार्थी के कार्यालय में बैठा हुआ था तब शिकायतकर्ता आया और उसने कहा कि 50/- रु. की राशि पूर्व में लिए गए धन के वापसी स्वरूप प्रदान की जा रही है। तत्पश्चात उक्त राशि शिकायतकर्ता द्वारा मृत अपीलार्थी को दी गई और शीघ्र ही उसके बाद ट्रैप की कार्यवाही की गई। अपने साक्ष्य के कण्डिका-2 में उसने यह भी कथन किया है कि यह भी कथित है कि शिकायतकर्ता अन्य एक लेखापाल श्री मिश्रा को ट्रैप करवाने में सक्रिय भूमिका निभा चुका है तथा यह भी संकेतित किया है कि मृत अपीलार्थी एवं शिकायतकर्ता के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण नही थे। बचाव साक्षी शत्रुघ्न (ब.सा. 1) ने भी यह कथन किया है कि शिकायतकर्ता और मृत अपीलार्थी के बीच पूर्व से ही रंजिश विद्यमान था तथा पूर्व में भी शिकायतकर्ता द्वारा मृत अपीलार्थी को फँसाने के प्रयास किए गए थे जिसकी चर्चा शिकायतकर्ता ने उससे की थी। उसने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता टी.ए. बिलों की तैयारी के संबंध में मृत अपीलार्थी पर दबाव बनाया करता था। अभिलेख पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य से इस न्यायालय के विचार में यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है कि 50/- रु. की राशि मृत अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण के रूप में स्वीकार की गई थी अथवा ऋण की अदायगी के रूप में। जहाँ तक ऋण अग्रिम दिए जाने के कथन का संबंध है, प्रारंभिक अवसर पर ही शिकायतकर्ता रामसेवक (अ.सा. 2) की जिरह के दौरान यह सुझाव दिया गया कि अग्रिम दिया गया ऋण 100/- रु. का था, परंतु ट्रैप के समय 50/- रु. की राशि ऋण की आंशिक अदायगी के रूप में वापस किए जाने का प्रस्ताव था। बचाव साक्षी फिरकू राम (ब.सा. 2) ने भी यह कथन किया है कि 50/- रु. का ऋण मृत अपीलार्थी को दिया गया था। शिकायतकर्ता रामसेवक (अ.सा.-2) ने अपने साक्ष्य की कण्डिका-7 में यह स्वीकार किया है कि फिरकू राम (ब.सा.-2) उसके साथ बस में यात्रा कर रहा था। अतः मृत अपीलार्थी द्वारा एक विश्वसनीय एवं विश्वसनीय बचाव प्रस्तुत की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियुक्त एक संभाव्य एवं विश्वसनीय बचाव प्रस्तुत करता है, तो उसे मात्र अभियोजन के कठोर प्रमाण-मानदंड को आरोपित कर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त पर भार वही नहीं होता जैसा कि अभियोजन पर भारी प्रमाण-भार के निर्वहन के मामले में होता है। ऐसे मामलों में अभियुक्त पर प्रमाण का भार अभियोजन की अपेक्षा कम होता है। अभियुक्त के बचाव का मूल्यांकन "अधिसंभाव्यता की प्रबलता" के आधार पर किया जाना चाहिए। अहेर रजा खिमा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब कोई अभियुक्त अपने आचरण के संबंध में युक्तिसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, तब भले ही वह अपने कथनों को पूर्णतः सिद्ध न कर सके, तथापि सामान्यतः उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि परिस्थितियाँ यह संकेत न दे कि वे असत्य है। रिश्वत के मामलों में, यदि अभियोजन यह सिद्ध कर देता है कि अभियुक्त द्वारा धनराशि स्वीकार की गई तथा वह राशि किसी भी रूप में विधिक पारिश्रमिक नहीं है, तो तत्क्षण उपधारणा उत्पन्न हो जाता है। तथापि अभियुक्त उक्त भार का निर्वहन **"अधिसंभाव्यता की प्रबलता"** के आधार पर कर सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेश प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान ए.आई.आर. 1974 एससी 773** तथा **त्रिलोक चंद जैन बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली 1979 एससी 666** के प्रकरणों में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रिश्वत एवं ट्रैप प्रकरणों में साक्ष्य के विवेचन से संबंधित विधि के सिद्धांत सामान्यतः निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गए है —

(क) अभियोजन कहानी को सिद्ध करने का भार सामान्यतः अभियोजन पर ही निहित रहता है, चाहे मामला ट्रैप अथवा रिश्वत का ही क्यों न हो; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के कारण यह भार अभियोजन से अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं होता। (ख) धारा 4 का प्रयोग केवल उस सीमा तक है जहाँ यह धनराशि स्वीकार करने के हेतुक के संबंध में उपधारणा उत्पन्न करने की अनुमति देती है, बशर्ते यह सिद्ध हो कि धनराशि अभियुक्त द्वारा प्राप्त अथवा स्वीकार की गई थी। (ग) धारा 4 के अंतर्गत उपधारणा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्पन्न करने के लिए भी यह आवश्यक है कि धनराशि स्वीकार करने अथवा प्राप्त करने का कृत्य स्वेच्छापूर्ण, जानबूझकर तथा सचेत मानसिक अवस्था के साथ किया गया हो। (घ) तथा यह कि यदि ऐसा उपधारणा उत्पन्न हो जाए तो अभियुक्त एक संभावित स्पष्टीकरण देकर और अन्य सिद्धांत की अधिसभाव्यता की प्रचुरता के आधार पर इसका खंडन कर सकता है; (इ) अभियुक्त के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह **'संदेह से परे'** साक्ष्य प्रस्तुत करके इस धारणा का खंडन करे। बल्कि उसे केवल अपने पक्ष में **'अधिसभाव्यता की प्रबलता'** स्थापित करने की आवश्यकता है; (च) यह कि 'ट्रैप' के गवाहों को सह-अपराधी के रूप में उन्मोचित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किसी दिए गए मामले में न्यायालय उनकी गवाही पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र पुष्टि पर जोर दे सकता है। इस प्रकार, उदाहरण के तौर पर, **पन्नालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1979 एससी 1191** के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह अवलोकित किया कि इसमे कोई संदेह नही हो सकता कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की भौतिक विवरणो मे पुष्टि की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 165-क (जिसके तहत रिश्वत देने वाले व्यक्ति को रिश्वत के दुष्प्रेरण का दोषी बनाया गया है) के लागू होने के बाद शिकायतकर्ता को एक सह-अपराधी से बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है और अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाले भौतिक विवरणों में पुष्टि पर जोर दिया जाना चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. **पंजाबराव (पूर्वोक्त)** के मामले में **उच्चतम न्यायालय** द्वारा यह एक सुस्थापित विधिक सिद्धांत माना गया है कि जहाँ अभियुक्त कथित राशि की प्राप्ति के लिए स्पष्टीकरण देता है वहाँ उसे **'युक्तियुक्त संदेह से परे'** अपना बचाव सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह **'संभाव्यता की प्रबलता'** द्वारा इसे स्थापित कर सकता है। **टी. सुब्रमण्यम (पूर्वोक्त)** के एक अन्य निर्णय में यह माना गया था कि यदि राशि प्राप्त करने का कारण स्पष्ट कर दिया गया था और वह स्पष्टीकरण संभावित एवं उचित था तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

13. साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बचाव को देखते हुए इस न्यायालय की राय में, न्याय के हित में संदेह का लाभ दिया जाना आवश्यक है।

14. परिणामतः दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

**सही/-**
**मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव**
**न्यायाधीश**

**Translated by- SMT. PRABHA SHARMA**

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur